न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	ताराचन्द बनाम मूलियाराम तहसीलदार प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मु.नं.-14/2020	
	कार्यवाही अमल में लाई जाती है वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14-10-2020 को पेश हो।	
14.10.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से एंव अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से श्री दिनेश सिंह शेखावत एड0 व अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की ओर से श्री हरिप्रसाद गुप्ता एड0 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये पत्थरगढ़ी करवाने मे कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए अपनी–अपनी सहमति व्यक्त किये जाने से प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है एंव अप्रार्थी संख्या 9, 10 व 11 की ओर से उनके अधिवक्तागण के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये पत्थरगढ़ी करवाने मे कोई आपत्ति नहीं होकर सहमति व्यक्त किया जाना प्रकट होता है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3355/1637, 3359/1659 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7000 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम परसरामपुरा हल्का सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.10.19 11:21:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारा चन्द बनाम भूमि/तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी — दि. -14/2020	
	जिसकी प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 29.01.2020 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का सरगोठ के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.01.2020 के अनुसार पत्थरगढ़ी पुलिस ईमदाद से करवाये जाने का निवेदन किया है।	
	वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।	
	वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का सरगोठ द्वारा दिनांक 29.01.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 3355/1637, 3359/1659 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7000 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस ... फीस 900/– रूपये ...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.10.19 11:21:06 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख ... जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	तारा चन्द बनाम भूमि कारी तहसीलदार प्रार्थना पत्र दि. 14/2020	
	600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का सरगोठ द्वारा दिनांक 29.01.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये यदि आवश्यक हो तो पुलिस ईमदाद से पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।	
	(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
	यह निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.10.19 11:21:06 IST
Reason: SelfAttested